संख्या-79/2016/294जेपीआर/22-3-16-800(37)/2013

प्रेषक,

पलबिन्दर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 03 मार्च, 2016***

विषय- जिला कारागार, फैजाबाद के बंदी सन्तराम वर्मा पुत्र स्व0 गयादीन वर्मा, निवासी-ग्राम-अरजानीपुर, थाना-कोतवाली अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, फैजाबाद के बंदी सन्तराम वर्मा पुत्र स्व0 गयादीन वर्मा, निवासी-ग्राम-अरजानीपुर, थाना-कोतवाली अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर को शासनादेश संख्या-29/2016/249जेएल/22-3-16-800(37)/2013, दिनांक 28-01-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-79/2016/294जेपीआर(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in